भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरूची की अभिव्यक्ति

सांची एक्सक्लूसिव शॉपी प्रारंभ करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा भोपाल शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची एक्सक्लूसिव शॉपी न्यूनतम आकार 8′ x 8′ प्रारंभ करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता जिनके पास स्वयं की दुकान हो अथवा किराए से हो, इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। निविदा का कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स. क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 11.01.2024 को www.sanchidairy.com से रू.500/– के क्रय मूल्य पर
2.	भौतिक रूप से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	किसी भी कार्यालयीन दिवस में, दुग्ध संघ के विपणन शाखा में।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर आवेदन प्रपत्र में सांची शॉपी कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर एवं आवदेन प्रपत्र के क्रय मूल्य रू.500/– की डी.डी जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल के नाम से देय होगा, संलग्न कर किसी भी कार्यालयीन दिवस में दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र. 01 "सांची एक्सक्लूसिव शॉपी हेतु आवेदन पत्र ", प्रपत्र क्र. 02 " सांची एक्सक्लूसिव शॉपी की शर्त एवं डी. डी एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें। तदउपरांत लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं शॉप का का नाम स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें। सांची एक्सक्लूसिव शॉपी कार्य हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज सफल पाये जाने पर आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सांची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालक को आवंटन की तिथी से एक वर्ष हेतु, प्रतिमाह किराया राशि रू. 5000/– का भुगतान, दूध एवं दूध उत्पादों के लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त होने की स्थिति में किया जाएगा।

किसी भी आवेदन को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर आवेदनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि में वृद्धि की जाने हेतु आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन को कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ,भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए निम्न नम्बर पर संपर्क करें। श्री आर.एस. यादव :– 9406900303, श्री अरूण नायकः– 9406900311, श्री संतोष चुनगुनिया :– 9993658017 एवं श्री राम किशोर 8839134587।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

आवेदन क्रमांक .... आवेदन शुल्क रू. **500/-**

प्रपत्र क्र. 01

सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो यहाँ चिपकायें।

1. आवेदनकर्ता का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. जन्म तिथि : ....

4. शैक्षणिक योग्यता : ....

5. अनुभव/वर्तमान कार्य : ....

6. स्थाई पता : ....
....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर : ....
प्रस्तावित दुकान का (फोटों संलग्न करें) ....
पता व फोटों : ....
....
दुकान का आकार : (साईज वर्ग फुट में लिखें) ....
स्वयं की/किराये पर : ....

7. आधार कार्ड/पेन कार्ड
नम्बर, कैसिंल चेक (संलग्न करें) :..

8. आवेदक को इस आशय का रू.100/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगी की उसे पूर्व में कभी भी किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है एवं आवेदक का किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा विचाराधीन है एवं किसी भी माननीय न्यायालय में कोई वाद लंबित है अथवा विचाराधीन है। **इस हेतु आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 03 में संलग्न प्रारूप का अवलोकन करें, जो कि केवल देखने हेतु है। शपथ पत्र केवल रू.100/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पर ही प्रस्तुत करना है।**

नोट –

1. एक आवेदक केवल एक ही स्थान के लिये आवेदन के पात्र होगें, तथा आवेदन के लिफाफे पर सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी स्थान का नाम स्पष्ट अक्षरों मे उल्लेखित करना अनिवार्य है।
2. आवेदन को स्वच्छ अक्षरों मे प्रतिपूर्ति पश्चात चाहे गये आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर, लिफाफे में निम्न पते पर दिनांक .... सायं 5.00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। डाक/कोरियर आदि के माध्यम से भेजे गये आवेदन मान्य नहीं होंगे। **आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र. 01 "सांची एक्सक्लूसिव शॉपी हेतु आवेदन पत्र ", प्रपत्र क्र. 02 " सांची एक्सक्लूसिव शॉपी की शर्ते एवं आवेदन के क्रय मूल्य रू. 500/– की डी.डी जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल के नाम से देय होगा।" एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें। तदउपरांत लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं शॉप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें।**
3. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की काटापीटी/ओवरराइटिंग एवं शब्दों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए अन्यथा इस प्रकार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन फार्म को जमा करने का पता :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.,
हबीबगंज भोपाल **462024** (म.प्र.)

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम–

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र 02

सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालन की आवश्यक शर्ते :–

1. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी का उदेश्य प्रमुख बाजारों एवं रहवासी क्षेत्रों मे सॉची दूध एवं डेयरी उत्पादों को सतत् रूप से उपलब्ध कराना है। इस हेतु विक्रय व्यवहार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक पूरे सप्ताह प्रदान करना होगा।
2. आवेदक को साँची शॉपी का आवेदन फार्म www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा एवं आवेदन फार्म में चाहे गए जानकारी को भरकर वांछित दस्तावेजों सहित किसी भी कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू. 500/– नगद, दुग्ध संघ में जमा कर रसीद आवेदन के साथ संलग्न कर दुग्ध संघ की विपणन शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन पत्र के क्रय मूल्य की रसीद के ऐसे आवेदन पत्र अमान्य होंगें।
3. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल शहर एवं विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, रायसेन, गुना, सीहोर, शुजालपुर (तहसील) इत्यादि जिला मुख्यालयों एवं उक्त के अंतर्गत तहसील/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/कस्बों में साँची एक्सक्लूसिव शॉपी प्रारम्भ किया जाना है। आवेदन प्रपत्र जमा होने के पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तावित किए गए स्थान में परिवर्तन नहीं होगा।
4. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी का न्यूनतम आकार 8 फुट X 8 फुट में उपलब्ध होगा जो की प्रमुख मार्गो एवं रहवासी क्षेत्रों के आकर्षक स्थानों पर होंगी। सॉची शॉपी संचालक ऐसे शॉपी की स्थापना पूर्व में स्थापित पार्लर/डिपो/अधिकृत दुकानों से लगभग 500 मीटर दूर हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सॉची शॉपी संचालक को ग्राहकों के साथ योग्य तालमेल बना कर विक्रय व्यवहार बनाना होगा।
5. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी हेतु सभी प्रकार के टेक्स आदि का भुगतान सॉची शॉपी संचालक_को करना होगा। संघ इस हेतु किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।
6. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी दूध एवं दुग्ध पदार्थ की आपूर्ति दुग्ध संघ के वितरक द्वारा की जावेगी। इस हेतु आवेदक को वितरक के साथ आपसी सामंजस्य बनाना होगा। वितरक को निर्धारित समय के पूर्व मांग देकर दूध/दुग्ध पदार्थ प्राप्त कर नियमित राशि RTGS के माध्यम से भुगतान करना होगा।
7. सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद शॉपी संचालक को विक्रेता दर पर उपलब्ध कराया जावेगा।
8. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी हेतु सॉची शॉपी संचालक एवं वितरक के मध्य किसी प्रकार के वाद विवाद होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9. शॉपी स्वीकृति के पश्चात् आवेदक को प्रतिभूति राशि रू.10000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा, जमा कराना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. दुग्ध संघ द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय वृद्धि हेतु समय समय पर विक्रय लक्ष्य आवंटित किये जावेगें, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
11. सॉची शॉपी संचालक को उत्पाद की गुणवत्ता से सबंधित शिकायत का निराकरण अपने स्तर पर एवं प्रबंधन को सूचित करते हुए समय सीमा के अन्दर करना होगा।
12. सभी उत्पादों पर शेल्फ लाईफ अंकित रहती है, तदानुसार समय के पूर्व विक्रय करना होगा। एक्सपायरी डेट का कोई पदार्थ भंडारित नहीं होना चाहिये एवं ऐसे दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ किसी भी स्थिति मे उपभोक्ताओं को विक्रय नही कर सकेंगे। दूध एवं दुग्ध पदार्थ पर अंकित MRP मूल्य पर ही विक्रय करना होगा अन्यथा किन्ही भी विपरीत परिस्थिति हेतु सॉची शॉपी संचालक पूर्णतः उत्तरदायी रहेगे।

13. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी के संचालक के पास FSSAI लायसेंस/पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
14. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी पर सर्विस सामग्रीयॉ जैसे चम्मच/स्ट्रॉ आदि संचालक के व्यय से रखना अनिवार्य हैं।
15. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी के प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंधीय प्रक्रिया के तहत रू.1000/- के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ के निर्धारित प्रारूप अनुसार स्वच्छ प्रति मे टंकण करवाकर प्रस्तुत करना होगा जो कि पूर्णतः अस्थाई रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी,भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
16. साँची शॉपी संचालक को अपने स्वयं के स्तर से आवश्यकता अनुसार डीपफ्रीजर रखना होगा। डीपफ्रीजर का रखरखाव संचालनकर्ता को स्वयं करना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पृथक से दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
17. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालन हेतु आवंटन तिथि से एक वर्ष तक प्रति माह राशि रू. 5000/- के किराया राशि का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु आवंटी को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिसे आवंटी को लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करनी होगी। आवंटन के पश्चात् प्रथम तिमाही में दिये गये लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी की समीक्षा की जावेगी। यदि समीक्षा के पश्चात् आवंटी द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित रू.5000/— किराए की राशि भुगतान योग्य होगी। इसी प्रकार लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी की समीक्षा इसी अनुक्रम में एक वर्ष तक किये जाने के पश्चात दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित किराए की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
18. सॉची शॉपी संचालक की स्वयं की दुकान होने की स्थिति में उसे दुकान के वांछित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे एवं यदि दुकान किराए से है तो ऐसी स्थिति में किराएनामे की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी पर यदि दुग्ध उत्पाद की मॉग बल्क मे प्राप्त होती है तो उसकी मॉग वितरक के माध्यम से कम से कम 02 दिन पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी के संचालन हेतु विधुत व्यवस्था व्यय शॉपी संचालक द्वारा वहन की जावेगी।
21. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी आवंटन पूर्व स्थल/दुकान का निरीक्षण दुग्ध संघ के अधिकारियों की समिति द्वारा किया जावेगा।
22. आवेदक को शाँची आवंटन के पश्चात केवल साँची के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय करना होगा। प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पाउच इत्यादि का विक्रय करना प्रतिबंधित होगा। दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय शॉपी से करते पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया रू.5000/— का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। पुर्नरावृत्ति होने की स्थिति में आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

मेरे द्वारा सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालन की आवश्यक शर्तें पढ़ व समझ ली है, तथा मैं सभी शर्तो को मानने के लिए सहज तैयार हूँ, यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 22 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता/करती हूँ तो मेरी प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

स्थान ....

दिनांक ....

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.''03''

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु.................... निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा सांची एक्सक्लूसिव शॉपी कार्य हेतु तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।

नाम– ....
हस्ताक्षर –

1. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रपत्र 04

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप (रू. 1000/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर)

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु .... पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री .... आयु ....वर्ष, निवासी .... (जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन निष्पादित किया जाता है:–

1. (अ.) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर ....साँची पार्लर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया है।

(ब.) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष शॉपी एजेंटशिप त्यागने/छोडने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा,

(स) साँची एक्सक्लूसिव शॉपी की अनुबंध अवधी कार्य आदेश दिनांक से तीन वर्ष दिनांक .... से दिनांक .... की होगी। अनुबंध अवधि समाप्ती के पश्चात् कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अनुबंध अवधि बढ़ाए जाने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास निहीत होगा।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस कार्य आवंटन निरस्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

(इ) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा साँची शॉपी अनुबन्ध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष/साँची शॉपी संचालनकर्ता को निर्धारित अवधि में साँची शॉपी पर लगाई गई सभी सामग्री जैसे ग्लोसाईन बोर्ड अन्दर की दिवारों पर विनाईल व स्टेण्डी का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/दुग्ध संघ के अधिकारी को सुपुर्द करना होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति का अधिकार नही होगा।

(उ) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयो के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

(ऊ) समस्त विवादो के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र भोपाल ही होगा।

2. (अ) यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।

(ब) यह कि अमानत राशि से साँची शॉपी संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

(स) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियो की रूपये 50000/–...................... प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामें भी इस इकरारनामे के जमानतदारो पर बंधनकारक होंगे।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि वापसी के आवेदन करने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता से नो–ड्यूज़ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सिक्यूरिटी वापस की जाएगी।

(ई) द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे। अपने व्यय से बनवाकर कार्य आदेश प्राप्ति के पूर्व अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।

3. (ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची शॉपी खुलने व बंद होने की समय तालिका शॉपी पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही साँची शॉपी खोलना होगा।

(स) उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(द) द्वितीय पक्ष को दोनो समय सुबह–शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

4. (अ.) यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से शॉपी द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा ।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

(द) यह कि शॉपी में फ्रिज/डीप फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय अनुसार द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।

(इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा शॉपी से विक्रय नही किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समानतर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।

(ई) यह कि शॉपी पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(उ) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे। दुग्ध संघ के अधिकारी /कर्मचारी द्वारा समय–समय पर शॉपी का निरीक्षण किया जाएगा।

5. (अ) प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।

(ब) क्योंकि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत शॉपी एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओ से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओ से लेन–देन की समस्त जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशो के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे। निर्धारित उपभोक्ता दरों (एम.आर.पी) से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

(द) प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओ के तहत उपभोक्ताओ के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण रूपेण भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओ में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कायवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओ को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

(इ) द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध विक्रय अग्रिम कार्ड, शॉपी किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नगदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नही दी जावें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी राशि जमा करना अति–आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।

6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही रहेगी।

8. यह कि शॉपी में प्रथम पक्ष द्वारा जो प्रचार–प्रसार सामग्री भविष्य में उपलब्ध कराई जाएगी एवं केन, क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट/नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।

9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

10. शॉपी आवंटन होने के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जानकारी अथवा दस्तावेज भविष्य में असत्य पाए गए तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात।

11. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिए गए शॉपी के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।

13. यह कि इस अनुबंध की शर्ते व नियमो में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

14. द्वितीय पक्ष को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी पत्र की दिनांक से 45 दिवस में कार्य पूर्ण कर संचालन आरम्भ करना होगा।

15. सॉची एक्सक्लूसिव शॉपी संचालन हेतु आवंटन तिथि से एक वर्ष तक प्रति माह राशि रू.5000/- के किराए राशि का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आवंटी को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिसे आवंटी को लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करनी होगी। आवंटन के पश्चात् प्रथम तिमाही में दिये गये लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी की समीक्षा की जावेगी। यदि समीक्षा के पश्चात् आवंटी द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित रू.5000/– किराए की राशि भुगतान योग्य होगी। इसी प्रकार लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी की समीक्षा इसी अनुक्रम में एक वर्ष तक किये जाने के पश्चात दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित किराए की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

16. द्वितीय पक्ष को रू.10000/– (दस हजार रूपये मात्र) बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" पेयबल एट भोपाल के नाम से देय होगा, तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. द्वितीय पक्ष को पार्लर में पेंटिग, बिजली बिल, डी–फ्रीजर की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

18. द्वितीय पक्ष आवंटित शॉपी में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का विक्रय नही करेगा और ना ही बिड़ी, गुटका, तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करेगा अन्यथा इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

19. द्वितीय पक्ष, शॉपी एजेन्ट के रूप में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक के अधीन कार्य करेंगे तथा इन्हे वितरक के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नही दिया जाता है तो इसकी सूचना द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।

20. द्वितीय पक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेगें, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगें तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।

21. द्वितीय पक्ष, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेटस/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

22. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसां पर भी लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु.. को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

23. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले पत्र/परिपत्र, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 में वर्णित नियम एवं शर्ते इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा। किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

24. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (भोपाल दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो को उभय पक्षो ने पढ़कर, समझ ली है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक ....

गवाहः

1 हस्ताक्षरः–
नाम ....
पता..

हस्ताक्षर
1. प्रथम पक्षकार

2 हस्ताक्षरः–
नाम ....
पता..

हस्ताक्षर
2. द्वितीय पक्षकार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, भोपाल
(प्रथम पक्ष)

(श्री .... पिता श्री........................)
निवासी...
....
(म0प्र0) मोबाईल नंबर ....
(द्वितीयपक्ष)

जमानतदार–नामा

मैं जमानतदार सर्व .... आत्मज श्री.......................................आयु .... में है कि कार्यालय **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल** प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ... . पुत्र श्री .... आयु .... निवासी .... के बीच आज दिनांक .... को साँची एक्सक्लूसिव शॉपी अनुबन्ध लिखा गया है, इस अनुबन्ध के तहत यदि प्रथमपक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए रूपये 25,000/– (अक्षरी रूपये पच्चीस हजार मात्र) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं, जमानतदार स्वयं प्रथमपक्ष को भुगतान करूँगा अन्यथा प्रथमपक्ष हमारी चल–अचल सम्पत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगें।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे साँची एक्सक्लूसिव शॉपी अनुबन्ध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक .... को लिख दिया है।

गवाह	जमानतदार
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर : ....
नाम –	नाम – ....
पता –	पता – ....
....	....
मो. नं.	मो. नं.

– : गवाह :–

(1) हस्ताक्षर	(2) हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पिता	पिता ....
पता	पता ....
....	....